

संख्या 27/11/2012-SRS
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)

तृतीय तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली
दिनांक : 25 सितम्बर, 2012

सेवा में,

1. मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश सरकार
लखनऊ
2. मुख्य सचिव
उत्तराखंड सरकार,
देहरादून


विषय: श्री कृपाल सिंह, मुख्य आरक्षी का अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति दिशानिदेश के अंतर्गत राज्य पुनरावंटन पर विचार ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परामर्शी समिति द्वारा दिनांक 10-07-2012 को आयोजित बैठक में श्री कृपाल सिंह, मुख्य आरक्षी के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कार्मिकों के राज्य आवंटन संबंधित दिशानिदेश के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य पुनरावंटन पर विचार किया गया । समिति को अवगत करवाया गया कि श्री कृपाल सिंह उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है । अतः वह उत्तरांचल पुनरावंटन के लिए पात्र नहीं है । समिति द्वारा विचारोपरांत उनके प्रत्यावेदन अस्वीकृत करने की संस्तुति की गई ।

भारत सरकार समिति की संस्तुति से सहमत है तथा तदनुसार श्री कृपाल सिंह, मुख्य आरक्षी उत्तर प्रदेश राज्य में बने रहेंगे । संबंधित कार्मिक को आवंटन के बारे में अवगत करवा दिया जाए ।

भवदीय,


(सारंगधर नायक)

अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि:-

1. श्री प्रशांत त्रिवेदी, सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन समन्वय विभाग, 47, नवीन भवन, सचिवालय, लखनऊ -226001 ।
2. श्री आर0के0 सुधान्शु, अपर सचिव (स्वतंत्र प्रभार), पुनर्गठन विभाग, उत्तराखंड सरकार, देहरादून ।

